निर्णय बईजलास डॉ0भारती दीक्षित आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ (राजस्थान)

मिसल न0 23 / प्रा0पत्र / 22

राज0सरकार
बनाम
देवीसिंह आ0 चम्पालाल तंवर नि0 भेनपुरा

प्रथम सूचना रिपोर्ट स0 30 / 2022 थाना घाटोली जुर्म अन्तर्गत 5,6,8,9 क राजस्थान गोवंशीय पशु(वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6ए वास्ते सुपुर्दगी वाहन संख्या एम.पी. 39 जी 2151

उपस्थितः– श्री संजय कुमार सक्सैना, अभिभाषक प्रार्थी
सहायक निदेशक अभियोजन

न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड़

–: निर्णय :– दिनांक: 05.05.2022

देवीसिंह आ0 चम्पालाल तंवर नि0 भेनपुरा तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश) द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया है अपने प्रा0पत्र में निवेदन किया गया है कि पुलिस थाना घाटोली द्वारा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिशेध और प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 5,6,8,9 के जुर्म में प्रार्थी का एक वाहन एम.पी. 39 जी 2151 जप्त किया गया है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। वाहन पुलिस थाना में अत्यधिक समय तक खडा रहने से प्रार्थी को आर्थिक क्षति हो रही है। प्रार्थी की सुपुर्दगी में वाहन दिया जाने पर सभी शर्तों की पालना की जावगी। वाहन को सुपुर्दगी हेतु निवेदन किया गया है।

प्रा0पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व अधीनस्थ पुलिस थाने से सम्बन्धित केस डायरी तलब की गई। पुलिस रिपोर्ट अनुसार अनुसंधान से व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाहन एम.पी. 39 जी 2151 को अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रतन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रमाणित होने पर जब्त किया गया है। जप्त वाहन बोलरो पिकअप एम.पी. 39 जी 2151 में 05 गौवंश ठूंस ठूंस कर निर्दयता पूर्वक भरे होना व गोवंशों के परिवहन का अनुज्ञापत्र नहीं होना होना अंकन किया गया है ।

बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रार्थी का एक वाहन बोलेरो पिकअप एम.पी. 39 जी 2151 को पुलिस द्वारा दिनांक 25.01.2022 को जप्त किया गया है । प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। अधिनियम की धारा 6(क)में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त वाहन की सुपुर्दगी प्रार्थी को दी जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन से गोवंश का परिवहन कृषि कार्य हेतु किया जा रहा था प्रा0पत्र स्वीकार कर जप्त शुदा वाहन सुपुर्दगी में दिया जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

इस पर सरकार की और से सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा व्यक्त किया गया कि प्रार्थी द्वारा गोवंश का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन)(सशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 6 क के अनुसार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जाये तो ऐसा अपराध करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहन का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होता है जिला कलक्टर सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उक्त वाहन के अधिहरण के आदेश देने में सक्षम हैं। जप्त ट्रक का अधिहरण किया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पुलिस रिपोर्ट अनुसार जप्त वाहन एम.पी. 39 जी 2151 में 05 गौवंश ठूंस ठूंस कर निर्दयता पूर्वक भरे होना अंकन किया गया है। इसी कारण से अपराध अन्तर्गत धारा 5,6,8,9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रतन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत अपराध होना दर्शित है। प्रार्थी द्वारा पशु खरीद बाबत कोई दस्तावेज या सक्षम अधिकारी की एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की कोई अनुमति के दस्तावेज पेश नही किये है। अतः गोवशं को निर्दयापूर्वक अवैध परिवहन व बिना सक्षम स्वीकृति के परिवहन की पुष्ठी होती है, प्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध अनुमति के अवैध रूप से एक ही पिकअप वाहन में ठसाठस भरकर 05 गोवंश को ले जाया जाना राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 5,6,8,9 की पुष्टी करता है। राजस्थान विधान मण्डल द्वारा नवम्बर 2019 में राज0गौवशं अधि0 1995 में संशोधन कर नई धारा 6 'क' अन्त स्थापित (Embedded) कर प्रवहण के साधन वाहन का अधिहरण (Confiscation) का प्रावधान गौवंश के अपराधों को हतोत्साहित करने के उदेश्य से किया गया है।

अतः विधिक प्रावधानों के मध्यनजर प्रा0पत्र खारिज किया जाता है पुलिस थाना घाटोली द्वारा प्र.सू.रि.स. 30/2022 में जप्त वाहन बोलेरो पिकअप एम. पी. 39 जी 2151 के अधिहरण के आदेश दिये जाते हैं इसी कम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। थानाधिकारी थाना घाटोली को जप्त वाहन बोलेरो पिकअप एम.पी. 39 जी 2151 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन में बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज संबधित थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे । राशि जमा नही कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार जर्ये निलामी निस्तारण किया जावे। थानाधिकारी थाना घाटोली को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांकः 05.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
झालावाड़